न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/570

1. प्रभूदयाल पुत्र मांग्या जाति गुर्जर, निवासी नेहरों की ढाणी, पटवार हल्का चौमूं पुरोहितान, तहसील खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला जिला सीकर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान।

—रेस्पोंडेन्ट्स

1. पोखरमल पुत्र श्री मांग्या
2. सोनी पत्नि मांग्या निवासी नेहरों की ढाणी, चौमूं पुरोहितान, तहसील खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान।

—तरतीबी रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 14.12.2021 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम बाबत् रास्ता कैम्प चौमूं पुरोहितान 33 के विरूद्व पारित किया गया।

उपस्थित :—

1. श्री विवेक शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से।
3. तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक—17.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 14.12.2021 के खिलाफ प्रार्थना—पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 23.06.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार खण्डेला द्वारा दिनांक 10.12.2021 को प्रस्ताव बाबत प्रचलित रास्ते ग्राम नेहरों की ढाणी प0 ह0 चौमूं पुरोहितान तहसील खण्डेला स्थित खसरा नम्बर 11 व 7 में होता हुआ उक्त रास्ता आम रास्ते से गोपीराम गुर्जर की ढाणी तक जाता है, जिसे राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा तहसीलदार खण्डेला के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 10.12.2021 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खण्डेला को आदेशित किया गया कि वे रास्ता प्रस्ताव व नक्सा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एवं नक्शें में तरमीम की जावें। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार खण्डेला द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2021 पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 14.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रभूदयाल पुत्र मांग्या द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील

स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 14.12.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आलौच्य आदेश कानून की प्रचलित अवधारणा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला ने पक्षकारान को नोटिस जारी नही कर महान कानूनी भूल की है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर यह आवश्यक है कि जिस भी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में आदेश जारी किया जाता है उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है, उक्त प्रकरण में ऐसा नही हुआ है, इसलिये आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की मूल अवधारणा यह है कि उक्त परिपत्र द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये संबंधित अधिकारी केवल और केवल पुराने प्रचलित रास्तों का ही अंकन राजस्व रिकार्ड में करेगें ना कि मनमाने तरीके से काश्तकारों के काश्त योग्य कृषि भूमि में से नये रास्तों का सृजन करेंगे। उक्त प्रकरण में ऐसा नही किया गया है, इसलिये उक्त आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अलावा अपीलार्थी न्यायालय हाजा को बताना चाहता है कि दिनांक 14.12.2021 को उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा कैम्प चौमू पुरोहितान में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के तहत आम रास्ता खसरा नम्बर 11 व 7 के बाबत् आम रास्ता गोपीराम गुर्जर की ढाणी तक बताते हुये उक्त रास्ते को बारहमासी रास्ता बताते हुये, भूमि को गैर मुमकिन रास्ते में दर्ज करने का आदेश जारी किया है एवम् जारी किये गये आदेश का अमल दरामद नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये तरमीम कर दिया है जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी को नही दी गई है। इस कारण आलौच्य आदेश निरस्तनीय है। खसरा नम्बर 194 के खातेदारान को बेजा लाभ पहुंचाने की गरज से उक्त आदेश जारी किया गया है जबकि खसरा नम्बर 194 पर ढाणी या आबादी नही होकर महज एक कुआ बना हुआ है, अगर इस प्रकार की कोई रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से चाही गई होती तो वस्तुस्थिति न्यायालय के समक्ष आती, इसलिये आलौच्य आदेश निरस्तनीय है।

आराजी खसरा नम्बर 7 अपीलार्थी की निजी खातेदारी की भूमि है, जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रचलित कदीमी रास्ता नही रहा है तथा उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को ना ही कोई नोटिस प्रदान किया है, ओर ना ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। जब अपीलार्थी खण्डेला तहसील कार्यालय में मौजूदा जमाबन्दी आदि अपनी निजी आवश्यकता, बैंक कार्य हेतु लेने पहुंचा तब दिनांक 08.06.2022 को जानकारी हुई कि अपीलार्थी की निजी खातेदारी में से बिना उसकी जानकारी के रास्ता कायम कर दिया गया है, तब अविलम्ब दिनांक 08.06.2022 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल दिनांक 08.06.2022 को प्राप्त की तथा अविलम्ब अधिवक्ता से राय मश्वरा कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, चूंकि आलौच्य आदेश भू–राजस्व अधिनियम के प्रचलित अवधारणा व नियमों के विरूद्ध है इसलिये आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि प्रचलित रास्ता वह होता है जिसमें रास्ता आबादी को, आबादी से जोडता है, जबकि उक्त प्रकरण में कोई रिपोर्ट पटवारी हल्का से अधीनस्थ न्यायालय ने प्राप्त नही की है, मनमाने ढंग से आलौच्य आदेश पारित किया गया है, इसलिये आलौच्य आदेश निरस्तनीय है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कन्डोन किया जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय 14.12.2021 प्रार्थना पत्र संख्या 33/2021 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर को निरस्त फरमाया जाये तथा उक्त आदेश की आड में जो समस्त कार्यवाही की गई है उसे शून्य घोषित करते हुये गैर मुमकिन रास्ते के तहत नये दर्ज किये गये खसरा नम्बर 251/7, 252/7 व 253/7 को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 08.06.2022 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर ने प्रस्ताव दिनांक 10.12.2021 के अनुसार प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी खण्डेला को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार खण्डेला द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने एवं ग्राम नेहरों की ढाणी प0 ह0 चौमुंपुरोहितान तहसील खण्डेला स्थित ख0 नं0 11, 7 में होता हुआ उक्त रास्ता आम रास्ते से गोपीराम गुर्जर की ढाणी तक जाता है जिसको तहसीलदार खण्डेला ने रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता मौके पर बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत के मांग पत्र अनुसार भी प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को कई वर्षों से एवं बारहमासी रास्ता मानते हुए गै0 मु0 रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज व नक्शे में तरमीम एवं गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने हेतु गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में रखने तथा तहसीलदार खण्डेला द्वारा भेजे गये प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रखने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2021 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खेत के खसरा नम्बर 7 व खसरा नम्बर 11 कुल किता 2 में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ते के रकबे को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्ररताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2021 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.12.2021 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर